

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1166/2024

दीपक कुमार, हैड कांस्टेबल बैल्ट नं. 78

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह मंत्रालय विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. डीपीजी, राजस्थान, जयपुर, पुलिस मुख्यालय, लालकोठी, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, कोंटा रेंज, कोटा (राज.)।
4. पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, कोटा (राज.)।
5. पुलिस अधीक्षक, झालावाड (राज.)।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.03.2024

आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस.राघव, अभिभाषक

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम-1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में हैड कांस्टेबल के पद पर आरटीओ कार्यालय छतरपुरा कोटा शहर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 16.10.2020 एवं 29.04.2021 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन झालावाड किया गया है, जो नियम 1989 के नियम 26 की धारा 34 के विपरीत जाकर किया गया है। जबकि जिले के अंदर स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान है। अपीलार्थी

की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर आदेश दिनांक 10.03.1998 के द्वारा जिला कोटा में हुई थी। वर्ष 2017 में एसपी कोटा द्वारा दिनांक 22.05.2017 आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी के विरुद्ध पीसी एक्ट की धारा 7, 7ए के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई और उसे निलंबित किया गया तथा मुख्यालय कोटा कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। परंतु आदेश दिनांक 16.10.2020 के द्वारा झालावाड कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया और आदेश दिनांक 03.12.2020 के द्वारा अपीलार्थी को रिवॉक कर दिया गया, परंतु अपीलार्थी का जिला परिवर्तन नहीं किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जिला परिवर्तन किया जाना उक्त नियम एवं विधि के विरुद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एवं अधिकरण द्वारा भी ऐसे स्थानान्तरण को अनुचित माना है क्योंकि कांस्टेबल एवं हैड कांस्टेबल स्तर की वरिष्ठता जिला स्तर पर संधारित होती है। जिले से बाहर स्थानान्तरण होने पर अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होगी। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 16.10.2020 एवं 29.04.2021 विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.10.2020 एवं 29.04.2021 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को कोटा शहर पुनः स्थानान्तरण किये जाने के आदेश दिये जावें।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन हैड कांस्टेबल के पद पर आरटीओ कार्यालय छतरपुरा कोटा शहर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि

अपीलार्थी आगामी एक माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य